भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या : 4448**
उत्तर देने की तारीख : 20.08.2025

**उम्मीद अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षा उपाय**

**4448. श्री तेजस्वी सूर्या:**
क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास (उम्मीद) अधिनियम के अंतर्गत निजी या सरकारी भूमि को वक्फ के रूप में मनमाने ढंग से या एकतरफा घोषित करने से रोकने के लिए लागू किए गए सुरक्षा उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अधिनियम किसी भी संपत्ति को वक्फ के रूप में पंजीकृत करने से पहले औपचारिक जांच अनिवार्य करता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी जांच के लिए गठित सक्षम प्राधिकारी का नाम क्या है;

(ग) उक्त अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण और सत्यापन प्रक्रिया पारदर्शिता, सार्वजनिक प्रकटीकरण और अपुष्ट दावों के विरुद्ध किस प्रकार सुरक्षा सुनिश्चित करती है;

(घ) वक्फ भूमि अभिलेखों के सत्यापन और अतिक्रमणों या झूठे दावों को रोकने में जिला कलेक्टरों और राजस्व अधिकारियों को सौंपी गई भूमिका का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) 'उम्मीद' केंद्रीय पोर्टल ने वक्फ से संबंधित जानकारी, सार्वजनिक सेवाओं और शिकायत निवारण तंत्र तक पहुँच को किस प्रकार बेहतर बनाया है?

**उत्तर**

**अल्पसंख्यक कार्य मंत्री**
**(श्री किरेन रीजीजू)**

(क) से (ग): एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995, वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 द्वारा यथासंशोधित, निजी या सार्वजनिक भूमि को वक्फ के रूप में मनमाने ढंग से या एकतरफा घोषित करने से रोकने और वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता, जवाबदेही और वैध प्रबंधन को बेहतर बनाने के उपायों में सुधार करने के लिए निम्नलिखित सुरक्षा उपाय प्रदान करता है:

(i) अधिनियम की धारा 3क के अनुसार, वक्फ निर्माण के लिए व्यक्ति को संपत्ति का वैध स्वामी होना तथा उसे हस्तांतरित या समर्पित करने में सक्षम होना आवश्यक है।

(ii) नई वक्फ संपत्तियों को वक्फ के रूप में पंजीकृत करने के लिए वक्फ विलेख अनिवार्य है, जिससे उचित दस्तावेजीकरण सुनिश्चित हो सके।

(iii) अधिनियम, 1995 की धारा 36 के अनुसार, सभी वक्फ पंजीकरण आवेदन UMEED केंद्रीय पोर्टल-2025 पर प्रस्तुत किए जाने चाहिए। वक्फ बोर्ड आवेदन को जिला कलक्टर के पास भेजते हैं, जो दावे की सत्यता, आवेदन की वैधता और विवरणों की सत्यता की जाँच करते हैं।

(iv) वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 40, जो पहले वक्फ बोर्ड को एकत्रित जानकारी के आधार पर एकतरफा रूप से संपत्तियों को वक्फ घोषित करने की अनुमति देती थी, अब वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत हटा दी गई है।

(घ): कलक्टर, उम्मीद सेंट्रल पोर्टल-2025 पर प्रस्तुत नए वक्फ पंजीकरण आवेदनों के विवरण की वास्तविकता और सटीकता की पुष्टि करने के लिए जिम्मेदार है और उन्हें वक्फ संपत्तियों के अतिक्रमण और अलगाव को रोकने के लिए वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण करने का भी काम सौंपा गया है।

(ङ) अधिनियम की धारा 3(टक) के अनुसार, मंत्रालय ने मौजूदा वक्फ और वक्फ को समर्पित संपत्ति का विवरण अपलोड करने के लिए 06.06.2025 को वैधानिक उम्मीद केंद्रीय पोर्टल-2025 लॉन्च किया है, जो पंजीकरण, सत्यापन, कलक्टर द्वारा सर्वेक्षण, म्यूटेशन, वार्षिक खाता अपडेट, ऑडिट, लीजिंग और निगरानी सहित वक्फ संपत्तियों के पूरे कालचक्र पर स्वत: संज्ञान लेता है, जिससे पारदर्शिता, दक्षता और प्रभावी प्रबंधन तथा शीघ्रता से शिकायत निवारण सुनिश्चित होता है।

*****